रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-03102025-266627 CG-DL-E-03102025-266627

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4391]

No. 4391]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 3, 2025/आश्विन 11, 1947 NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 3, 2025/ ASVINA 11, 1947

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अक्तूबर, 2025

सं. 37 / 2025-26

विषयः डी-ऑयल्ड राइस ब्रान की निर्यात नीति में संशोधन के संबंध में।

का.आ. 4517(अ).—समय—समय पर यथा संषोधित, विदेश व्यापार नीति 2023, के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पिटत विदेष व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 के साथ पिटत धारा 3 द्वारा प्रदत्त षित्तयों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा आइटीसी (एचएस) 2022, अनुसूची—II (निर्यात नीति) के अध्याय 23 के तहत डी—ऑयल्ड राइस ब्रान की निर्यात नीति में तत्काल प्रभाव से निम्नानुसार संषोधन करती है:

आइटीसी (एचएस) कोड एवं विवरण	निर्यात नीति	मौजूदा नीतिगत शर्त	संशोधित निर्यात नीतिगत शर्त			
2302—ब्रान,ष्षार्प और अन्य अविषष्ट, चाहे टिकिया के रुप में हो अथवा नहीं, अनाज अथवा फलीदार पौधों के छानने, पीसने अथवा अन्य कार्य से प्राप्त						
2302 40 00 – अन्य अनाज के	मुक्त	डी—ऑयल्ड राइस ब्रान का निर्यात 30 सितम्बर, 2025 तक 'निषिद्ध' है।				
2306 खली और अन्य ठोस अविषष्ट चाहे पीसी हुई हो अथवा टिकिया के रुप में हो, वनस्पित अथवा माइक्रोबियल वसा अथवा तेलों के निष्कर्षण से प्राप्त, षीर्षक 2304 अथवा 2305 के अलावा						

6645 GI/2025 (1)

2306 90 19 – अन्य – – – खली और खली खाद्य, एक्सपेलर किस्मः – – अन्य बीजों के	मुक्त	डी—ऑयल्ड राइस ब्रान का निर्यात 30 सितम्बर, 2025 तक 'निषिद्ध' है।	<<हटाया गया>>
2306 90 29 – अन्य – – - खली और खली खाद्य, विलायक द्रव से निकाली हुई (वसा रहित) किस्मः – – — अन्य बीजों के	मुक्त	डी—ऑयल्ड राइस ब्रान का निर्यात 30 सितम्बर, 2025 तक 'निषिद्ध' है।	<<हटाया गया>>
2306 90 90 – अन्य – – अन्य	मुक्त	डी—ऑयल्ड राइस ब्रान का निर्यात 30 सितम्बर, 2025 तक 'निषिद्ध' है।	<<हटाया गया>>

अधिसूचना का प्रभावः डी–ऑयल्ड राइस ब्रान की निर्यात नीति एतद्द्वारा तत्काल प्रभाव से 'निषिद्ध' से संषोधित कर 'मुक्त' की जाती है।

[फा. सं. 01/91/191/030/एएम21/ईसी/ई-36363] अजय भाद, अपर सचिव, पदेन महानिदेशक विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd October, 2025

No. 37/2025-26

Subject: Amendment in Export Policy of De-Oiled Rice Bran -regarding

S.O. 4517(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 read with section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992, read with Para 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy 2023, as amended from time to time, the Central Government hereby amends the Export Policy of De-Oiled Rice Bran(DoRB) under Chapter 23 of Schedule-II (Export Policy), ITC (HS) 2022, with immediate effect as under:

ITC(HS) code & Description	Export Policy	Existing Policy Condition	Revised Export Policy Condition		
2302 - Bran, Sharps and Other Residues, Whether or not in the form of Pellets, derived from the Sifting, Milling or Other Working of Cereals or of Leguminous Plants					
2302 40 00 - Of other Cereals	Free	Export of De-oiled Rice Bran is 'Prohibited' till 30 th September 2025.	< <deleted>></deleted>		
2306 - Oil-Cake and other Solid Residues, Whether or not Ground or in the form of Pellets, resulting from the Extraction of Vegetable or Microbial Fats or Oils, Other than those of Heading 2304 or 2305					
2306 90 19 - Other Oil-cake and oil-cake meal, expeller variety: Of other seeds	Free	Export of De-oiled Rice Bran is 'Prohibited' till 30 th September 2025.	< <deleted>></deleted>		
2306 90 29 - Other Oil-cake and oil-cake meal, solvent extracted (defatted) variety: Of other seeds	Free	Export of De-oiled Rice Bran is 'Prohibited' till 30 th September 2025.	< <deleted>></deleted>		
2306 90 90 - Other Other	Free	Export of De-oiled Rice Bran is 'Prohibited' till 30 th September 2025.	< <deleted>></deleted>		

Effect of the Notification: The export policy of De-Oiled Rice Bran is hereby amended from 'Prohibited' to 'Free' with immediate effect.

[F. No. 01/91/191/030/AM21/EC/E-36363]

AJAY BHADOO, Addl. Secy. & Director General of Foreign Trade